

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- A&F/NNP-Allot.-01/2026- **122(माग)**

पटना, दिनांक :- **16/7/2026**

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- वर्ष 2026-27 में विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से जल जीवन मिशन अन्तर्गत नीर निर्मल परियोजना के तहत आच्छादित निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए **D.B. Cost** अन्तर्गत राज्यांश मद से **₹1.37 लाख (एक लाख सैंतीस हजार रुपये)** मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-W-11031/1/2016-Water.I (Part-I) दिनांक-14.05.2020 के अनुसार RWSS-LIS अन्तर्गत नीर निर्मल परियोजना की समयावधि दिनांक-31.03.2020 को समाप्त होने के उपरान्त शेष बचे कार्यों को जल जीवन मिशन के राशि से 50:50 (केन्द्रांश : राज्यांश) के आधार पर पूर्ण किया जाना है। तदनुरूप दिनांक-01.04.2020 को अपूर्ण योजनाओं अन्तर्गत ₹432.4585 करोड़ के अवशेष कार्य को JJM fund से पूर्ण करने हेतु दिनांक-26.05.2020 को संपन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSCC) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी योजनाओं के 5 वर्षों का संचालन एवं रख-रखाव तथा स्वीकृत विचलन का व्यय पूर्णतः राज्यांश मद से किया जाना है।

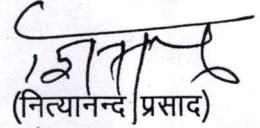
2. उक्त स्वीकृति के आलोक में विशेष सचिव सह-परियोजना निदेशक-RWSSP के गै0सं0 प्रे0सं0-WB/Fin./Fund Allotment/105/2014 Part-II-178 पटना, दिनांक-19.06.2020 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई योजनावार सूची के अनुरूप कुल ₹432.4585 करोड़ संबंधित जिलों/प्रमंडलों को उपलब्ध कराया जाना है।

3. उपरोक्त स्वीकृति के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से जल जीवन मिशन अन्तर्गत विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत आच्छादित निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **D.B.Cost** अन्तर्गत बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन-राज्यांश मद की संचित निधि से निम्न तालिका के अनुसार **₹1.37 लाख (एक लाख सैंतीस हजार रुपये)** मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लोक स्वा० प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	विमुक्त राशि (लाख रू० में)				
			सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल अंकों में	कुल शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पटना पूर्व	Ajgara	1.14	0.22	0.01	1.37	₹1.37 लाख (एक लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र।
		कुल:-	1.14	0.22	0.01	1.37	

कृ०पृ०उ०

अनुरोध है कि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन-राज्यांश मद की संचित निधि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को उक्त सारणी के अनुसार राशि विमुक्त की जाए।

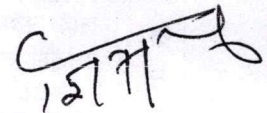

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु०)

पटना, दिनांक :- 16/7/2026

ज्ञापक- A&F/NNP-Allot.-01/2026- 122/म०

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के राज्यांश मद में उपलब्ध निधि से CFMS Module के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के निर्माण पर व्यय किया जाए।
 - इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
 - इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
 - आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। आवंटित निधि का व्यय वित्तीय नियमावली/प्रावधानों के तहत ही किया जाए।
2. प्रतिलिपि-संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु०)-सह-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिलिपि-सचिव, के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र पटना तथा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार/मोनेटरिंग)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/अधीक्षण अभियंता (मो०)/कार्यपालक अभियंता (मो०-1/2)/उपनिदेशक (अन्वेषण)/उपनिदेशक (मु०)/कार्यपालक अभियंता (मु०/मो०)/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-6ए/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा-6, लो०स्वा० अभि० विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

140 अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु०)